संख्या-68/2021/I/67855/2021/File No.65-2099/854/2019-2

प्रेषक,

डा0 पूजा पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2021

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में संकेत मूक बधिर बालिकाओं के राजकीय इण्टर कॉलेज (आवासीय) जनपद-कुशीनगर के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति (अन्तिम किस्त)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या-127/दि0ज0स0वि0/निर्माण-संकेत-कुशीनगर/2021-22 दिनांक 18.05.2021, जिसमें संकेत मूक बधिर बालिकाओं के राजकीय इण्टर कॉलेज (आवासीय) जनपद-कुशीनगर के पूर्ण होकर विभाग को हस्तगत हो जाने के फलस्वरूप परियोजना हेतु अवशेष प्रावधानित धनराशि रू0 20.18 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. अत: आपके पत्र संख्या-127/दि0ज0स0वि0/निर्माण-संकेत-कुशीनगर/2021-22 दिनांक 18.05.2021 एवं शासनादेश संख्या-93/2020/1496/65-2-2020-62(बजट)/2015टी0सी0 दिनांक 13.10.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्ण निर्मित होकर विभाग को हस्तगत हो चुके संकेत मूक बधिर बालिकाओं के राजकीय इण्टर कॉलेज (आवासीय) जनपद-कुशीनगर के निर्माण कार्य हेतु अवशेष रह गयी धनराशि रू0 20.18 लाख (रूपये बीस लाख अट्ठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन निश्चित किया जायेगा।

(ii) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

(iii) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियां वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020 दिनांक 22 मार्च 2021 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(iv) प्रायोजनान्तर्गत सम्मिलित जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(v) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(vi) यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(vii) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा तथा आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(viii) **प्रश्नगत कार्य की गुणवत्ता से निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 अपने स्तर से पूर्णत: संतुष्ट हो लेंगे।**

(ix) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है। यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(x) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये की जा रही, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृति के संबंध में किये जाने वाले आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप हों।

(xi) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xii) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xiii) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज आर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiv) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xv) शासनादेश संख्या-93/2020/1496/65-2-2020-62(बजट)/2015टी0सी0 दिनांक 13.10.2020 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-29-जनपद कुशीनगर में संकेत मूक-बधिर बालिकाओं के लिए राजकीय इण्टर कॉलेज-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020 दिनांक 22 मार्च 2021 में निहित प्रावधानों एवं प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डा0 पूजा पाण्डेय
विशेष सचिव।

<u>तदसंख्या/तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार, लेखा-परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. जिलाधिकारी, कुशीनगर ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
6. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कुशीनगर ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1 ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
डा0 पूजा पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।